म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. क्रमांक 2152/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका–1 /2023–24 दिनांक 21/8/23

//आदेश//

अजीम प्रेमजी फाउंडेशन फॉर डेव्हलपमेंट, बैंगलोर द्वारा भोपाल जिले में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय भोपाल की स्थापना म.प्र. राजपत्र अधिसूचना क्रं. 630 दिनांक 20 दिसम्बर 2022 के द्वारा हुई है।

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानांनतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्रं	संकाय	पाठ्यक्रम का नाम	वर्तमान में स्वीकृत सीट संख्या (धारा 9 बी अनुसार)	प्रस्तावित नवीन/वृद्धि सीट संख्या	स्वीकृत कुल सीट संख्या	संबंधित विनियामक परिषद का आदेश तथा दिनांक	प्रकाशित अध्यादेश क्रमांक
1.	Faculty of Education	Master of Arts in (Education)	-	200	200	-	7
2.	Faculty of Development	Master of Public Health (MPH)	-	150	150	-	8
3.	Faculty of Humanities and Social Sciences	Bachelor of Arts (History)	-	100	100	-	6
4.	Faculty of Sciences	Bachelor of Sciences (Biology)	-	100	100	-	5

उपरोक्त तालिका में अंकित नवीन पाठ्यक्रमों को अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, भोपाल में संचालन हेतु मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9 (ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानांनतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रमों की आधारभूत संरचनाएं उपकरणों, प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं संबंधित विनियामक परिषदों/मानक संस्थाओं के मापदंडों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण हेतु आयोग के आदेश क्रमांक 2147 दिनांक 18.08.2023 के द्वारा निरीक्षण समिति का गठन किया गया था।

निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन एवं समिति के द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर एवं अधिनियम की धारा 9 (ख) के प्रावधानांनतर्गत तालिका में अंकित 1 से 4 तक नवीन पाठयक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2023–24 से उनके नाम के सम्मुख दर्शित सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं संबन्धित विनियामक परिषदों के मापण्दडों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबन्धित विनियामक परिषदों की गाईड लाईन के अनुसार दिये जायेगें।

Anjali 24/8

निरंतर....2

Scanned with OKEN Scanner

3. यू.जी.सी. एवं संबंधित विनियामक परिषदों द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन /मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

4. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नैक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।

6. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक परिषदों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।

7. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।

8. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरिक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

24/8/2023

(डॉ. के.पी. साहू)
सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृष्ठांकन................../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/भोपाल **दिनांक**

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक के माध्यम से मान. अध्यक्ष महोदय, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल।
2. कुलसचिव, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
3. गार्ड फाइल।

सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

Scanned with OKEN Scanner